क्रमांक 7922-2 जी0एस0-II-29679

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 10 अक्तूबर, 1975

विषय :—संवेदना आधार पर सशस्त्र सेना से रिलीज हुए भूतपूर्व सैनिकों को सिविल सेवा में सैनिक सेवा का लाभ देने के सम्बन्ध में

महोदय,

मुझे आदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊं और कहूं कि कुछ विभागों ने सरकार से इस बिन्दु पर टिप्पणी देने के लिये लिखा है कि संवेदना आधार पर सैनिक सेवा से रिलीज होने वाले भूतपूर्व सैनिकों को सिविल सेवा में नियुक्त पर सैनिक सेवा का वरिष्ठता वेतन वृद्धि आदि के लिये लाभ दिया जाना है या नहीं ।

2. इस विषय पर विचार कर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन भूतपूर्व सैनिकों को सिविल सेवा में सैनिक सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जाना है जो सैनिक सेवा से संवेदना (Compassinate) आधार पर रिलीज हुए है ।

आपसे अनुरोध है कि इन अनुदेशों की विधिवत पालना की जाए, और इस पत्र की पावती भी भेजें ।

भवदीय,

हस्ता/–

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित :—

वित्तायुक्त, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।